E-ISSN: 2664-603X
P-ISSN: 2664-6021
IJPSG 2025; 7(3): 192-200
www.journalofpoliticalscience.com
Received: 25-02-2025
Accepted: 26-03-2025

ललित काण्डपाल
पीएचडी, शोधार्थी, राजनीति विज्ञान, सोबन सिंह जीना विश्वविद्यालय अल्मोड़ा, उत्तराखंड भारत

Corresponding Author:
ललित काण्डपाल
पीएचडी, शोधार्थी, राजनीति विज्ञान, सोबन सिंह जीना विश्वविद्यालय अल्मोड़ा, उत्तराखंड भारत

भारत-बांग्लादेश संबंध तथा भविष्य की राह

ललित काण्डपाल

DOI: https://www.doi.org/10.33545/26646021.2025.v7.i5c.540

सारांश
1947 ताकतें उनके मूल्यों को अस्थिर कर रही हैं। पूर्वी और पश्चिमी पाकिस्तान के बीच आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, वैचारिक, भाषाई और शैक्षिक संघर्ष स्पष्ट रूप से स्पष्ट हो गए। बांग्लादेश मुक्ति युद्ध ("1971 युद्ध") की शुरुआत 25 मार्च 1971 की आधी रात को ऑपरेशन सर्चलाइट के शुभारंभ के साथ हुई थी, जिसका उद्देश्य बांग्लादेशियों को स्वतंत्रता की मांग करने से रोकना था, जब अवामी लीग (एएल) के शेख मुजीबुर रहमान ने पाकिस्तान में 1970 के आम चुनावों में स्पष्ट बहुमत हासिल किया था। पाकिस्तानी सेना ने हजारों बंगाली महिलाओं के साथ बलात्कार किया, लगभग तीन मिलियन बंगाली मारे गए, लगभग दस मिलियन बंगाली भारत भाग गए, और हमले के दौरान कई आंतरिक रूप से विस्थापित हो गए। यह अथाह अनुपात का नरसंहार था। जब पाकिस्तान के अत्याचार बढ़ गए, तो भारत ने मानवीय चिंताओं पर हस्तक्षेप किया, बंगाली शरणार्थियों को आश्रय देने के लिए अपनी सीमाएँ खोलीं, और रसद आपूर्ति प्रदान करके और बांग्लादेश मुक्ति सेना, मुक्ति वाहिनी के सैनिकों को प्रशिक्षण देकर बांग्लादेश का समर्थन किया। जैसे-जैसे पूर्वी और पश्चिमी पाकिस्तान के बीच दरार बढ़ती गई, स्वायत्तता की मांग की जगह आत्मनिर्णय के आधार पर पूर्ण स्वतंत्रता की मांग ने ले ली। संघर्ष को हल करने के लिए, भारत ने □□ सरकार की स्थापना और पूर्वी पाकिस्तान को स्वायत्तता प्रदान करके 1970 के चुनाव के फैसले का पालन करने के लिए पाकिस्तान के राष्ट्रपति याह्या खान के साथ मध्यस्थता का प्रयास किया, जिसे राष्ट्रपिता बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान ने अपने चुनाव घोषणापत्र और छह-सूत्री मांग के माध्यम से बार-बार आवाज़ दी थी। भारत ने मध्यस्थता शुरू की और कई देशों में दूत भेजकर और लगभग 72 देशों को पत्र लिखकर पूर्वी पाकिस्तान की दुर्दशा से अवगत कराकर कूटनीतिक हमला किया। जब संघर्ष को हल करने का अंतिम प्रयास सफल नहीं हुआ और अंत में, एक सामंजस्यपूर्ण राजनीतिक समाधान के लिए सभी कूटनीतिक विकल्पों को समाप्त करने के बाद, भारत नरसंहार ने 1971 के युद्ध में भारत के मानवीय हस्तक्षेप और दस मिलियन बंगाली शरणार्थियों की आमद के खिलाफ आत्मरक्षा के रूप में बल के प्रयोग को वैधता प्रदान की, जिसने भारत को तीव्र वित्तीय तनाव में डाल दिया। 1971 का युद्ध 16 दिसंबर 1971 को पाकिस्तान की हार के साथ समाप्त हुआ जब भारत ने युद्ध में हस्तक्षेप किया और पाकिस्तानी सेना को परास्त किया। 1971 के युद्ध के दौरान अपराधों के सहयोगियों पर मुकदमा चलाने के लिए, □□ ने बांग्लादेश में संक्रमणकालीन न्याय को लागू करना शुरू किया ।

कुटशब्दः आवामी लीग (AL), SAFTA, मुक्ति वाहिनी सेना, द्विपक्षीय संयुक्त नदी आयोग (JRC), BBIN

प्रस्तावना

बांग्लादेश भारत की पूर्वी सीमा पर स्थित एक राज्य है । यह चारो तरह भारत से घिरा हुआ राज्य है ।

इसका क्षेत्रफल 1 लाख 48 हजार वर्ग किलोमीटर और जनसंख्या लगभग 17 करोड़ 30 लाख है। पूर्वी राज्यों के संपर्क हे बांग्लादेश, भारत का महत्वपूर्ण पडोसी देश है । भारत के विभाजन के पश्चात् भारत और पाकिस्तान दो स्वतंत्र राज्यों का निर्माण हुआ पाकिस्तान का निर्माण पूर्वी पाकिस्तान एवम् पश्चिमी पाकिस्तान को मिलकर हुआ पूर्वी एवम् पश्चिमी पाकिस्तान के बीच भोंगोलिक सांस्कृतिक एवम् आर्थिक विषमता विधमान थी।

1971 से पहले, पाकिस्तान के दो क्षेत्र थे, पूर्व और पश्चिम। आधुनिक बांग्लादेश, जिसे पूर्वी पाकिस्तान के रूप में जाना जाता है, भौगोलिक रूप से पश्चिमी पाकिस्तान से लगभग 1,000 मील अलग था। भारत में हिंदू जमींदारों के मुकाबले अपनी पिछली हीनता को देखते हुए, बंगाल के मुसलमान अपने मौलिक अधिकारों को सुनिश्चित करने के लिए पाकिस्तान सरकार की ओर देख रहे थे। हालाँकि, यह आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, वैचारिक, भाषाई और शैक्षिक क्षेत्रों में पूर्वी पाकिस्तानियों के प्रति और भी अधिक भेदभावपूर्ण साबित हुआ। इस भेदभाव ने ऐतिहासिक छह-सूत्री मांग को जन्म दिया, जिसका ध्यान पूर्वी विंग की स्वायत्तता और संसाधनों पर उसके नियंत्रण को विलय करने के लिए पाकिस्तान को एक संघीय राज्य के रूप में स्थापित करने पर केंद्रित था। इस प्रतिज्ञा को साबित करने का आधार दोनों विंगों के लिए दो अलग-अलग मुद्राओं का निर्माण था; स्वतंत्र विदेशी भंडार; विदेशी मुद्रा आय और व्यापार से करों पर पूर्वी विंग का स्व-शासन। 7 मार्च 1971 को अपने भाषण के दौरान, शेख मुजीब ने अन्य शर्तों का उल्लेख किया: मार्शल लॉ को तुरंत हटाना, सैन्य कर्मियों को बैरकों में वापस बुलाना, और 25 मार्च 1971 को विधानसभा की बैठक से पहले लोगों के चुने हुए प्रतिनिधियों को सत्ता का त्वरित हस्तांतरण। भले ही शेख मुजीब ने 1970 के चुनाव में स्पष्ट बहुमत हासिल किया, लेकिन निर्णय लेने वाले अभिजात वर्ग ने पूर्वी पाकिस्तान की जनसांख्यिकी, चुनावी बहुमत और राजनीतिक मांगों को नजरअंदाज कर दिया। परेशानी तब शुरू हुई जब पश्चिमी पाकिस्तान के नेता जुल्फिकार अली भुट्टो, जिनकी पार्टी पाकिस्तान पॉलिटिकल पार्टी ने पाकिस्तान के दो पंखों के लिए दो प्रधानमंत्रियों के एक अस्पष्ट समझौते के साथ आया: पूर्व में शेख मुजीब और पश्चिम में भुट्टो। शेख मुजीब और भुट्टो अपनी जमीन पर इतने दृढ़ थे कि कोई भी दूसरे को एक इंच भी स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं था। यह एक क्रूर बलात्कार, हत्या और लूटपाट अभियान था जिसका उद्देश्य स्वतंत्रता चाहने वाले बंगाली राष्ट्रवादियों को खत्म करना था। पश्चिमी पाकिस्तानी पत्रकार एंथनी मस्कारेनहास की "नरसंहार" शीर्षक वाली कहानी ने दुनिया को चौंका दिया जिसमें उन्होंने लिखा कि उन्होंने हिंदुओं को शिकार बनते देखा है, लोगों की चीखें सुनी हैं और अन्य मानवों को ट्रकों में भरकर निशाना बनते देखा है।"

दस मिलियन बंगाली शरणार्थी संकट से दबे और मानवाधिकारों के खुलेआम उल्लंघन से दुखी होकर, भारत ने मुक्ति बाहिनी का समर्थन करके हस्तक्षेप किया। संघर्ष को हल करने के लिए, भारत ने अल सरकार की स्थापना और पूर्वी पाकिस्तान को स्वायत्तता प्रदान करके 1970 के चुनाव के फैसले का पालन करने के लिए याह्या खान के साथ मध्यस्थता का प्रयास किया, जिसे शेख मुजीब ने अपने चुनाव घोषणापत्र और छह-सूत्री मांग के माध्यम से बार-बार आवाज़ दी। भारत ने कई देशों में दूत भेजकर और लगभग 72 देशों को पत्र लिखकर पूर्वी पाकिस्तान की दुर्दशा से अवगत कराकर और संकट का तत्काल समाधान करने की मांग करके एक कूटनीतिक

आक्रमण शुरू किया था। संघर्ष समाधान के सभी विकल्पों को समाप्त करने के बाद, भारत ने पाकिस्तान पर हमला करने के लिए एक सैन्य समाधान का विकल्प चुना। 15 दिसंबर 1971 वह निर्णायक दिन था जब पाकिस्तानी सेना ने भारतीय सेना और बांग्लादेश की मुक्ति सेना के सामने आत्मसमर्पण कर दिया सिर्फ़ 13 दिनों तक चलने वाला 1971 का युद्ध, जिसका समापन 16 दिसंबर 1971 को हुआ, इतिहास के सबसे छोटे युद्धों में से एक माना जाता है। अपनी आज़ादी के बाद, बांग्लादेश को 1971 के युद्ध के दौरान संघर्ष, दमन और घोर मानवाधिकार उल्लंघन से लोकतांत्रिक शासन और कानून के शासन के साथ एक शांतिपूर्ण और स्थिर देश में बदलने के लिए कठिन संक्रमण का सामना करना पड़ा। 1971 के युद्ध के दौरान अपराधों के सहयोगियों पर मुकदमा चलाना ज़रूरी हो गया। इस प्रकार एएल ने संक्रमणकालीन न्याय की शुरुआत करके 1971 के युद्ध की जवाबदेही सुनिश्चित करना चाहा। 1972-1975 का दौर बांग्लादेश के लिए सबसे महत्वपूर्ण वर्ष था, जब उसने युद्ध से त्रस्त देश द्वारा अपने पहले चरण में किए जा सकने वाले व्यवहार्य पहलों को बढ़ावा दिया। अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायाधिकरण अधिनियम 1973 (ICTA, 1973) और संविधान का अधिनियमन, यौन हिंसा के पीड़ितों का पुनर्वास, युद्ध शिशुओं के लिए अंतर्राष्ट्रीय गोद लेने का आह्वान, अपराधियों और सहयोगियों की गिरफ्तारी, और नरसंहार, मानवता के खिलाफ अपराध और अन्य जघन्य युद्ध अपराधों और अंतर्राष्ट्रीय अपराधों की सीमा की जांच के लिए जांच आयोग की स्थापना, यह साबित करती है कि विरासत जारी है। 1975 में सैन्य तख्तापलट की एक श्रृंखला के पहले के दौरान शेख मुजीब की देशद्रोही हत्या के बाद, बांग्लादेश 1990 तक सैन्य शासन और निर्वाचित शासन के बीच झूलता रहा। 1991 में सैन्य से लोकतांत्रिक शासन में राजनीतिक संक्रमण के बाद फिर से पुनर्जीवित होने पर, बांग्लादेश ने 1971 के नरसंहार का हिसाब लगाने के लिए संयुक्त राष्ट्र द्वारा प्रस्तावित कुछ संक्रमणकालीन न्याय उपायों और कई अन्य को अपनाया। जनवरी 2009 में जब एएल ने सत्ता संभाली तो बंगबंधु शेख मुजीब की बेटी शेख हसीना बांग्लादेश की प्रधान मंत्री बनीं। इसके बाद उन्होंने 1971 के युद्ध के दौरान पाकिस्तान का पक्ष लेने वाले और युद्ध अपराध और अंतरराष्ट्रीय अपराध करने वाले युद्ध अपराधियों और अंतरराष्ट्रीय अपराधियों पर मुकदमा चलाने के लिए आईसीटीए, 1973 के तहत इससे यह साबित होता है कि बांग्लादेश ने मुख्य रूप से अभियोजन पहल को अपनाया है, जो संयुक्त राष्ट्र द्वारा प्रस्तावित संक्रमणकालीन न्याय के पाँच स्तंभों में से एक है। संयुक्त राष्ट्र द्वारा प्रस्तावित संक्रमणकालीन न्याय के अन्य चार स्तंभ सत्य का अधिकार, क्षतिपूर्ति प्रदान करना, संस्थागत सुधार और राष्ट्रीय परामर्श हैं। बांग्लादेश सत्य के अधिकार और क्षतिपूर्ति प्रदान करने से भी निपटता है।

भारत-बांग्लादेश संबंध

भारत और बांग्लादेश के मध्य द्विपक्षीय सहयोग की शुरुआत वर्ष 1971 में हो गई थी, जब भारत ने बांग्लादेश राष्ट्र का समर्थन करते हुए अपनी शांति सेना भेजी थी। इसी कारण दोनों के मध्य एक भावनात्मक संबंध भी बना हुआ है। किसी भी देश के लिये यह आवश्यक होता है कि उसके पड़ोसी देशों के साथ उसके रिश्ते अच्छे और मज़बूत रहें, खासकर एशियाई क्षेत्र में जहाँ आतंकवाद के बड़ा खतरा है। बीते वर्ष 2017 की बैठक में भारत और बांग्लादेश के संबंधों को एक

नया आयाम दिया गया और कुल 11 समझौतों तथा 24 समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किये गए थे।

सुरक्षा और सीमा प्रबंधन

भारत और बांग्लादेश की सीमा लगभग 4096.7 किमी. लंबी है। उल्लेखनीय है बांग्लादेश के साथ भारत की सीमा उसके किसी भी अन्य पड़ोसी देश से सबसे अधिक है। भारत-बांग्लादेश भूमि सीमा समझौता (India-Bangladesh Land Boundary Agreement-LBA) वर्ष 2015 में लागू हुआ था और 31 जुलाई, 2015 को भूभागीय मानचित्र पर हस्ताक्षर किये गए थे। विदित है कि दोनों देशों के मध्य अब तक सुरक्षा सहयोग से संबंधित कई समझौतों पर हस्ताक्षर किये गए हैं। इन्ही में से एक है समन्वित सीमा प्रबंधन योजना, जिस पर वर्ष 2011 में हस्ताक्षर किये गए थे एवं इसके तहत सीमा पार अवैध गतिविधियों और अपराधों की जाँच करने तथा भारत-बांग्लादेश सीमा पर शांति बनाए रखने हेतु दोनों सीमा सुरक्षा बलों द्वारा समन्वित प्रयास किये गए।

नदी के पानी का बँटवारा

भारत और बांग्लादेश आपस में 54 नदियाँ साझा करते हैं। ध्यातव्य है कि इस विषय पर एक द्विपक्षीय संयुक्त नदी आयोग (JRC) भी है जो आम नदी प्रणालियों से लाभ को अधिकतम करने के लिये दोनों देशों के बीच संपर्क बनाए रखने हेतु जून 1972 से काम कर रहा है और यह JRC समय-समय पर नदी संबंधी मुद्दों पर चर्चा करने के लिये बैठकें भी करता है।

द्विपक्षीय व्यापार और निवेश

ज्ञातव्य है कि भारत और बांग्लादेश के बीच 1972 में पहला व्यापार समझौता हुआ था। भारत-बांग्लादेश व्यापार समझौते को अंतिम बार जून 2015 में स्वतः नवीनीकरण के प्रावधान के साथ 5 वर्षों की अवधि के लिये नवीनीकृत किया गया था। भारत और बांग्लादेश के बीच द्विपक्षीय व्यापार पिछले एक दशक में लगातार बढ़ा है। वित्तीय वर्ष 2017-18 में भारत और बांग्लादेश के मध्य 9.5 बिलियन डॉलर का द्विपक्षीय व्यापार हुआ था। साथ ही भारत ने वर्ष 2011 से दक्षिण एशियाई मुक्त व्यापार क्षेत्र (SAFTA) के तहत तंबाकू और शराब को छोड़कर सभी टैरिफ लाइनों पर बांग्लादेश को शुल्क मुक्त कोटा प्रदान किया हुआ है। सीमावर्ती समुदायों के लाभ के लिये त्रिपुरा और मेघालय में दो-दो बॉर्डर हाट (Border Haats) की भी स्थापना की गई है।

बांग्लादेश को भारत का आर्थिक सहयोग

भारत मे बांग्लादेश को वर्ष 2010 से अब तक 8 बिलियन डॉलर की 3 लाइन ऑफ क्रेडिट (LOC) दी हैं। जनवरी 2010 में भारत ने सार्वजनिक परिवहन, सड़कों, रेलवे, पुलों और अंतर्देशीय जलमार्ग संबंधी परियोजनाओं हेतु लगभग 1 बिलियन डॉलर की लाइन ऑफ क्रेडिट (LOC) की घोषणा की थी। उल्लेखनीय है कि इनमें से अधिकांश परियोजनाएँ पूरी हो चुकी हैं और शेष पूरी होने की कगार पर हैं। इसके अलावा लगभग 2 बिलियन डॉलर की दूसरी LOC वर्ष 2015 में और लगभग 4.5 मिलियन डॉलर की वर्ष 2017 में भी दी गई थी।

बिजली और ऊर्जा क्षेत्र

वर्ष 2017 में बांग्लादेश भारत से लगभग 660 मेगावाट बिजली का आयात कर रहा था। अप्रैल 2017 में भारतीय सार्वजनिक/निजी कंपनियों और बांग्लादेश के बीच 3600 मेगावाट से अधिक बिजली उत्पादन/आपूर्ति/वित्तपोषण के समझौतों पर हस्ताक्षर किये गए थे। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन जैसे कई भारतीय सार्वजानिक क्षेत्र की

इकाइयाँ बांग्लादेश के तेल और गैस क्षेत्र में अपने बांग्लादेशी समकक्षों के साथ काम कर रही हैं।

दोनों देश के मध्य कनेक्टिविटी

भारत-बांग्लादेश परिवहन के सभी साधनों के माध्यम से कनेक्टिविटी का एक अच्छा उदाहरण है। वर्तमान समय में दोनों देशों के मध्य व्यापार और आवागमन हेतु लगभग सभी साधनों जैसे- पानी के जहाज़, रेल, बस और हवाई जहाज़ आदि का प्रयोग किया जा रहा है।

सांस्कृतिक आदान-प्रदान

इंदिरा गांधी सांस्कृतिक केंद्र (IGCC), बांग्लादेश में भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद (ICCR) का एक प्रमुख सांस्कृतिक केंद्र है। IGCC का उद्घाटन वर्ष 2010 में किया गया था और यह नियमित रूप से बांग्लादेश में सांस्कृतिक गतिविधियों वाले कार्यक्रमों का आयोजन करता है। इसी के साथ IGCC योग, हिंदी, हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत, मणिपुरी नृत्य, कथक और चित्रकारी में नियमित प्रशिक्षण कार्यक्रम भी आयोजित करता है, विदित है कि यह प्रशिक्षण कार्यक्रम बांग्लादेशी विद्यार्थियों के मध्य काफी प्रचलित है।

कई क्षेत्रों में चिंताएँ बरकरार

कई प्रयासों के बावजूद भारत और बांग्लादेश के बीच नदी जल साझाकरण समझौते असफल रहे हैं, उनमें से मुख्य तीस्ता समझौता है जो वर्ष 2011 से लगातार चल रहा है, लेकिन केंद्र और पश्चिम बंगाल सरकारों के बीच तनाव के कारण अब तक आगे नहीं बढ़ पाया है।

भारत की आर्थिक नीति में बाज़ार-विरोधी रुझान गंभीर समस्या है। उदाहरण के लिये बांग्लादेश में गोमांस एक प्रधान भोजन है फिर भी भारत इसे निर्यात नहीं करता है जिसके कारण सीमावर्ती क्षेत्रों में अवैध पशु तस्करी को बढ़ावा मिलता है।

बांग्लादेश, भूटान, भारत और नेपाल पहल (Bangladesh, Bhutan, India and Nepal Initiative-BBIN) के कार्यान्वयन में लगातार देरी।

भारत में मुसलमानों के प्रति घृणा और घृणा की घटनाएँ बांग्लादेश में सार्वजनिक धारणाओं को प्रभावित करती हैं।

NRC पर चिंता

दोनों देशों के प्रतिनिधियों की बैठक के दौरान NRC भी चर्चा का एक महत्त्वपूर्ण विषय रहा और बांग्लादेशी पक्ष ने NRC के संबंध में अपनी चिंताएँ भी ज़ाहिर कीं। इस विषय पर भारतीय प्रधानमंत्री ने यह भरोसा दिया था कि बांग्लादेश पर NRC का प्रभाव नहीं पड़ेगा और यह भारत का आंतरिक विषय है। उल्लेखनीय है कि जब अगस्त में असम में NRC के अंतिम संस्करण से लगभग 19 लाख लोगों को अलग किया है, तब से भारत की ओर से आने वाले बयानों के कारण बांग्लादेश चिंतित है कि इन लोगों को निर्वासित कर दिया जाएगा।

आगे की राह

भारत और बांग्लादेश को दोस्ती और सहयोग के माध्यम से अपनी भू-राजनीतिक वास्तविकताओं का प्रबंधन करना चाहिये। यह आवश्यक है कि दोनों देश अल्पकालिक लाभ हेतु अपने दीर्घकालिक हितों के साथ समझौता न करें।

दोनों देशों के मध्य नदियों के जल प्रबंधन के कार्य को गंभीरता से लिया जाना चाहिये।

दोनों देशों के नेताओं को एक दीर्घकालिक संयुक्त रणनीति विकसित करने का प्रयास करना चाहिये।

निष्कर्ष

1947 में धर्म की लहर जिसने भारत को विभाजित किया और पाकिस्तान बनाया, समय की कसौटी पर खरा नहीं उतरा। हालाँकि धर्म एक बाध्यकारी कारक बना रहा, लेकिन पाकिस्तान के

भीतर कई अन्य संघर्षों के साथ-साथ सांस्कृतिक संघर्ष ने पाकिस्तान के अलगाव और दिसंबर 1971 में बांग्लादेश के गठन का मार्ग प्रशस्त किया। पूर्वी पाकिस्तान ने लगातार दावा किया कि पश्चिमी पाकिस्तान इसे पाकिस्तान का उपनिवेश मान रहा है। इसलिए, उसे बल, राज्य और संप्रभुता और आत्मनिर्णय के आधार पर मान्यता का उपयोग करके पूर्ण स्वतंत्रता की मांग करने का अधिकार था, जिसका उल्लेख संयुक्त राष्ट्र चार्टर के उद्देश्यों में किया गया है।

भारत और बांग्लादेश के बीच संबंध ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और भौगोलिक निकटता पर आधारित हैं। 1971 में बांग्लादेश के स्वतंत्रता संग्राम में भारत की महत्वपूर्ण भूमिका ने दोनों देशों के बीच एक विशेष रिश्ता स्थापित किया। आज, द्विपक्षीय संबंध व्यापार, सुरक्षा, ऊर्जा, परिवहन और सांस्कृतिक आदान-प्रदान जैसे क्षेत्रों में मजबूत हैं। हालांकि, सीमा विवाद, अवैध प्रवासन और जल बँटवारे जैसे मुद्दों पर कभी-कभी तनाव उत्पन्न होता है, लेकिन दोनों देशों ने सहयोग और वार्ता के माध्यम से इन चुनौतियों का समाधान खोजने का प्रयास किया है।भविष्य में, भारत और बांग्लादेश के बीच संबंधों को और गहरा करने के लिए आर्थिक एकीकरण, बुनियादी ढाँचे के विकास और क्षेत्रीय स्थिरता पर ध्यान देना आवश्यक है। दोनों देश "नेबरहुड फर्स्ट" नीति को महत्व देते हुए दक्षिण एशिया में शांति और समृद्धि को बढ़ावा दे सकते हैं।

संदर्भ

1. जे. एन दीक्षित (पूर्व प्रदेश सचिव भारत सरकार) भारतीय विदेश नीति प्रकाशन वर्ष – 2018.
2. डॉ राजेश मिश्रा भारतीय विदेश नीति तृतीय संस्करण 2018.
3. डॉ बी एल फड़िया अंतरराष्ट्रीय राजनीति पंद्रहवां संस्करण 2012.
4. डॉ. सतीश कुमार भारत बांग्लादेश संबंध के उभरते आयाम प्रकाशन अनु बुक 2017.
5. http://www.mea.gov.in-india-bangladesh-relaction
6. https://www.Sanskriti.com/hindi-india-bangladesh-relation
7. https://www.ibef.com/hindi
8. https://www.dristi.ias.com/hindi/daily news